

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/ 18851-60

दिनांक:- 25 फरवरी 2014

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 163/2013-14 दिनांक 17.07.2013 में क.सं. 06 पर अंकित श्री ज्ञानसिंह नैनावत पुत्र श्री रामचन्द्र, म0नं0 57, ज्योति नगर, 200 फुट रोड, एन.ई.बी. के पीछे, अलवर (मेरिट नं. 283/2011, रोल नं. 700449, जन्मतिथि 01.07.1971) को लेखाकार के पद पर नियुक्ति दी जाकर उपकोषाधिकारी, उप कोषालय नाथद्वारा जिला राजसमन्द में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु श्री ज्ञानसिंह नैनावत ने निर्धारित अवधि में अपने नियुक्ति/पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया।

श्री ज्ञानसिंह नैनावत को पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु पत्रांक 15172 दिनांक 03.09.2013, पत्रांक 17123 दिनांक 07.10.2013, पत्रांक 17879 दिनांक 21.11.2013 द्वारा निरन्तर लिखा गया एवं अनिमित्त अवसर देते हुए पत्रांक 18185 दिनांक 03 जनवरी 2014 द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2014 तक उपकोषालय नाथद्वारा जिला राजसमन्द में कार्यग्रहण हेतु लिखा गया परन्तु श्री नैनावत ने कार्यग्रहण नहीं किया।

विभागीय आदेशों की अनुपालना में निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं किए जाने के कारण श्री ज्ञानसिंह नैनावत पुत्र श्री रामचन्द्र (मेरिट नं. 283/2011) का विभाग के आदेश संख्या 163/2013-14 दिनांक 17.07.2013 में क.सं. 06 द्वारा जारी नियुक्ति आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(वीरबाला जोशी)

निदेशक,

कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/ 18851-60

दिनांक:- 25 फरवरी 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. उपकोषाधिकारी, उप कोषालय नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. श्री ज्ञानसिंह नैनावत पुत्र श्री रामचन्द्र, मकान नम्बर 57, ज्योति नगर, 200 फुट रोड, एन.ई.बी. के पीछे, अलवर - 301026 (लिक नं. 8599) (रजिस्टर्ड)
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. गोपनीय शाखा
8. रक्षित पत्रिका/निजी पत्रावली

(कै. एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)